

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

:: कार्यालय आदेश ::

श्री राजू सैनी व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) राउमावि, बानसूर (अलवर) जिसकी नियुक्ति राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की भर्ती परीक्षा 2013 में चयनोपरान्त की जाकर उक्त विद्यालय में पदस्थापित किया गया है। श्री सैनी ने अपने नियुक्ति/पदस्थापन स्थान से असंतुष्ट हो माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर में SBCW 15643/2015 दायर की है। माननीय सक्षम न्यायालय द्वारा अपने निर्णयादेश में पूर्व में जारी देवेन्द्र सिंह व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य SBCW No- 4062/2014 दिनांक: 14.04.14 के परिपेक्ष में याचिकाकर्ता को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने व अप्रार्थी द्वारा अभ्यावेदन निस्तारण करने के आदेश प्रदान किये हैं।

याचि ने अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अपने मूल स्थान से 300 किमी दूर पदस्थापन करने, माता-पिता की देखभाल हेतु मूल स्थान सीकर में लगाये जाने का निवेदन किया है।

याचि से प्राप्त अभ्यावेदन का गहनतापूर्वक अध्ययन व विश्लेषण किया गया तो यह पाया गया कि याचि की नियुक्ति राज्य स्तर की वरियता के आधार पर प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) के पद पर की गई है। यह पद राज्य स्तरीय सेवा का RES है, इस पद पर धारित लोक सेवक की सेवायें पूरे राज्य में कहीं भी ली जा सकती है। अतः श्री सैनी व्याख्याता (गणित) के पद पर किया गया पदस्थापन राउमावि, बानसूर (अलवर) जहाँ इन्होंने कार्यग्रहण भी कर लिया है सही है। उक्त आधार पर श्री सैनी का अभ्यावेदन निरस्त किया जाता है। सूचित होंवे।



(बी.एल.स्वर्णकार)

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,


राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/मा/संस्था/सी-3/भौगकृ/को.के./15648/2015

दिनांक: 20.4.2016

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा, विधि प्रकोष्ठ, राजस्थान, जयपुर
2. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, जयपुर
3. उपनिदेशक (माध्यमिक शिक्षा) जयपुर/भरतपुर।
4. जिल्ला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-I/II, अलवर/विधि जयपुर।
5. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
6. प्रधानाचार्य, राउमावि, बानसूर (अलवर)
4. संबंधित कार्मिक, श्री राजू सैनी, व्याख्याता गणित, राउमावि, बानसूर (अलवर)
5. अनुभाग अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. निजी/रक्षित पत्रावली।



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर